आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय, मध्यप्रदेश
भू–तल, विन्ध्याचल भवन, भोपाल
पिन – 462004

क्रमांक / 2010 / आसांस / आ.वि.–ज.भा. / भोपाल, दिनांक 21 / 06 / 2010

प्रति,

समस्त कलेक्टर,
मध्यप्रदेश.

विषयः जनभागीदारी योजना का क्रियान्वयन ।

दिनांक 1.4.2010 से जनभागीदारी योजना का क्रियान्वयन आर्थिक एव सांख्यिकी संचालनालय म.प्र. व्दारा किया जा रहा है । माह अप्रैल 2010 की प्रगति की समीक्षा करने पर पाया गया कि अधिकांश जिलो में इस योजना के तहत कोई राशि व्यय नहीं की गई है । आपको विदित ही है कि वर्श 2010–11 में मध्यप्रदेश शासन,वित्त विभाग व्दारा सभी योजनाओं का त्रैमासिक बजट जारी किया गया है एवं त्रैमास हेतु आंवटित राशि उसी त्रैमास में उपयोग करना आवश्यक किया गया है अन्यथा आंवटित राशि समर्पित / लेप्स हो जावेगी । आपके जिले को जनभागीदारी योजना के तहत प्रथम त्रैमास का आंवटन माह अप्रैल,2010 मे ही किया जा चुका है ।

अतः अनुरोध है कि जनभागीदारी योजना के तहत आपके जिले को आंवटित राशि का पूर्ण उपयोग इसी त्रैमास में अर्थात दिनांक 30 जून,2010 तक करना सुनिश्चित करें । साथ ही जनभागीदारी योजना की प्रगति का मासिक प्रतिवेदन प्रत्येक माह की पांच तारी,ख तक भिजवाने का कष्ट करें ।

(डॉ.एस.पी.शर्मा)
आयुक्त,
आर्थिक एवं सांख्यिकी,
मध्यप्रदेश.

पृ.क्र. 3685 / 2010 / आसांस / आ.वि.–ज.भा. भोपाल,दिनांक 21 / 6 / 2010

प्रतिलिपिः

समस्त संयुक्त संचालक / जिला योजना अधिकारी,संभागीय / जिला योजना एवं सांख्यिकी कार्यालय म.प्र. को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

(डॉ.एस.पी.शर्मा)
आयुक्त,
आर्थिक एवं सांख्यिकी,
मध्यप्रदेश

02/07/10

आवक 966
दिनांक

अर्द्ध शा. पत्र क्र. [illegible]

आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय
मध्यप्रदेश

भू-तल, विंध्याचल भवन, भोपाल-462004.

डॉ. एस. पी. शर्मा
आई.एफ.एस.
आयुक्त

फोन [illegible] : 0755-2551305
फैक्स : 0755-2551225
ई-मेल : des@mp.nic.in
[illegible]prasad.sharma@nic.in

भोपाल, दिनांक [illegible]

विषय: जनभागीदारी योजना के मासिक प्रगति प्रतिवेदन के संबंध में।

विषयान्तर्गत मेरे द्वारा जनभागीदारी योजना की प्रगति की समीक्षा करने पर यह देखा गया कि अधिकांश जिलों से मासिक प्रगति प्रतिवेदन निर्धारित समय पर प्राप्त नही हो रहा है।

जनभागीदारी योजना की मासिक प्रगति [illegible] [illegible] मॉनीटरिंग व राज्य [illegible] समीक्षा बैठकों हेतु महत्वपूर्ण है।

अतः जनभागीदारी योजना मासिक प्रगति माह फरवरी [illegible] 2010 तक एवं वित्तीय वर्ष [illegible]-11 के प्रथम त्रैमास की प्रगति [illegible] (एक्सल शीट में कृतिदेव-010 फोन्ट) प्राथमिकता के आधार पर तैयार कर दिनांक 05/08/2010 तक फैक्स/विशेष वाहक द्वारा भेजना सुनिश्चित करें।

भवदीय

(डॉ. एस. पी. शर्मा)

कार्यालय कलेक्टर ग्वालियर
शाखा [illegible]
22 JUL 2010
कलेक्टर प्रति.

प्रति,
समस्त कलेक्टर,
मध्यप्रदेश

कार्यालय कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, ग्वालियर (म.प्र.)

19/7/10

क्रमांक ..../वलेलि./10 ग्वालियर दिनांक ....

प्रति,

कलेक्टर
जिला ग्वालियर

विषय जन भागीदारी योजनान्तर्गत तालाब जीर्णोद्वार ग्राम जिरेना विकास खण्ड मुरार की प्रशासकीय स्वीकृति पश्चात् कार्य को पीस वर्क आर्डर पद्धति एवं टुकड़ों में कराये जाने की अनुमति प्रदान करने बावत्।

संदर्भ आपका पत्र क्रमांक क्यू/20/स.यो.सा./जन.भा./12/10–11/1709 दिनांक 02.07.2010

उपरोक्त सदंर्भित पत्र द्वारा जन भागीदारी योजनान्तर्गत तालाब जीर्णोद्वार कार्य ग्राम जिरेना विकास खण्ड मुरार की प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त हुई है। यह कार्य वर्षा पूर्व किया जाना है।

उक्त कार्य के यदि निविदा पद्धति से कराया जाता है तो निविदा आमंत्रण, प्रकाशन एवं निविदा स्वीकृति में ही लगभग 2 माह का समय व्यतीत होने की संभावना है। ऐसी स्थिति में कार्य वर्षा पूर्व होना संभव नही है।

वर्तमान में वर्षाकाल का समय है तथा उक्त तालाब को वर्षा के पानी से भराव हेतु तैयार करना है ऐसी स्थिति में कार्य की अति महत्वता एवं समय सीमा को देखते हुये कार्य पीस वर्क आर्डर पद्धति से रू. 50,000/–तक के कार्यादेश टुकडों (Spleteup) पर कराने की अनुमति प्रदान करने का सादर अनुरोध है।

कार्यपालन यंत्री
जल संसाधन संभाग, ग्वालियर

पृ0 क्रमांक 3713 /वलेलि./10 ग्वालियर दिनांक 15/7/10

प्रतिलिपि–
1. जिला योजना अधिकारी ग्वालियर
2. अनुविभागीय अधिकारी जल संसाधन उपसंभाग क्रमांक –1 ग्वालियर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

कार्यपालन यंत्री
जल संसाधन संभाग, ग्वालियर

जिला योजना एवं सांख्यिकी कार्यालय
आवक क्र. 1051
दिनांक 19/7/10
ग्वालियर (म.प्र.)

D/divi Letter JULY 2010

मुख्यमंत्री कार्यालय
मध्यप्रदेश
——00——

विषय:

विषय—मान. मुख्यमंत्री जी द्वारा दिनांक 26 जनवरी, 2010 को रीवा जिले में की गई घोषणाओं का क्रियान्वयन बाबत्।

——

माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा रीवा जिले के प्रवास के दौरान दिनांक 26 जनवरी, 2010 को आपके विभाग से संबंधित निम्नांकित घोषणा की गई है :—

<u>स्थान – रीवा</u>

<u>घो0क्र0 ए–0523</u> (समयावधि 06 माह)
26.01.2010

"प्रत्येक जिले में जन भागीदारी से कम से कम एक काम प्राथमिकता पर लिया जाएगा।"

2/ निर्देशानुसार अनुरोध है कि उक्त घोषणा के क्रियान्वयन हेतु समय–सीमा में आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कर कृत कार्यवाही से अवगत कराने का कष्ट करें ।

(जे.सी. भट्ट)
उप सचिव, मुख्यमंत्री

प्रमुख सचिव
सामान्य प्रशासन विभाग /
योजना आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग

DS(PIS)
18/2/10

02/06/2010 16:35 07312449114 INDORE PAGE 01

मध्य प्रदेश शासन
योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग
मंत्रालय

क्रमांक – /2008/यो.आएवं.सां./ज.भा.यो. भोपाल, दिनांक – / /2008

प्रति

कलेक्टर
जिला–इन्दौर
मध्यप्रदेश

विषय :– जन भागीदारी योजना के अन्तर्गत लिये जाने वाले कार्य की वित्तीय सीमा के संबंध में ।

संदर्भ :– आपका पत्र क्र. 3033/स.यो.सां.का./2008/इन्दौर, दिनांक 6.10.2008

विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के संबंध में अवगत करया जाता है कि वर्तमान नियमों के अन्तर्गत जन भागीदारी योजना में मात्र रू. 25.00 लाख तक की लागत के कार्य ही लिये जा सकते है ।

सूचनार्थ प्रेषित

(डी. पी. अहिरवार)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग

पृ.क्र. 1834/2008/यो.आ.एवं.सां./ज.भा.यो. भोपाल, दिनांक 12/11/2008

प्रतिलिपि :–

1. समस्त कलेक्टर (इन्दौर छोडकर) मध्यप्रदेश को सूचनार्थ ।
2. समस्त संयुक्त संचालक, संभागीय योजना एवं सांख्यिकी कार्यालय, म.प्र. को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
3. समस्त जिला योजना अधिकारी जिला .... को सूचनार्थ ।

(डी. पी. अहिरवार)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग

CADS-P-letter-1-30-10-2008.doc

शाखा ... (योजना) 19 MAY 2010

मध्य प्रदेश शासन
योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग
मंत्रालय

(32)

क्रमांक /326/2010/23/यो.आ.सां.   भोपाल, दिनांक 12/5/2010

प्रति,

समस्त कलेक्टर्स
मध्यप्रदेश

2158
21-5-2010

विषय : जनभागीदारी योजना में स्वैच्छिक संगठनों को भी अनुमत कार्यो के लिये स्वीकृति दी जायेगी यदि वे जन भागीदारी निर्धारित शर्तो को पूर्ण करते है।

–0–

उपरोक्त विषय के संबंध में मान. मुख्यमंत्री जी की घोषणा क्र. 262 दिनांक 12.10.09 के कियान्वयन के संबंध में म.प्र. जनभागीदारी नियम 2000 के प्रावधान अंतर्गत विभागीय परिपत्र क्र. एफ 2–13–2000/23/योजना–2 दिनांक 02.06.08 (सुलभ संदर्भ हेतु छायाप्रति संलग्न) की ओर ध्यान आकर्षित कर निर्देशित किया जाता है कि स्वैच्छिक संगठनों को जनभागीदारी योजनांतर्गत अनुमत कार्यो के लिये स्वीकृति दी जाये। यदि वे जनभागीदारी योजना की निर्धारित शर्तो को पूर्ण करते है।

संभागीय योजना एवं सांख्यिकी कार्यालय ग्वालियर (म.प्र.) 917

(एल.एच.वाहने)
अवर सचिव
मध्य प्रदेश शासन
योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग
मंत्रालय

पृ.क्रमांक–1165/326/2010/23/यो.आ.सां.   भोपाल, दिनांक 12/5/2010

प्रतिलिपिः–

1. सचिव, मान. मुख्यमंत्री कार्यालय, भोपाल।
2. मान. मंत्रीजी योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग भोपाल।
3. आयुक्त, आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय भोपाल।
4. अपर सचिव, राज्य योजना आयोग, भोपाल।
5. कार्यपालक निदेशक जन अभियान परिषद, भोपाल।
6. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक/जिला योजना अधिकारी, जिला योजना एवं सांख्यिकी कार्यालय, म.प्र.।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

अवर सचिव
मध्य प्रदेश शासन
योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग
मंत्रालय

C:\ASHA 10\letter 10-05-2010-123.doc

मध्य प्रदेश शासन
योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग
मंत्रालय बल्लभ भवन

क्रमांक एफ–2 13/2000/23/यो.–2

भोपाल दिनांक 02.06.2008

प्रति,

समस्त कलेक्टर्स
मध्यप्रदेश

विषय :– जनभागीदारी योजनान्तर्गत गैर सरकारी पंजीकृत संस्थाओं/समिति/ट्रस्ट आदि के द्वारा एकत्रित राशि को जनभागीदारी का अंश मान्य किये जाने एवं क्रियान्वयन एजेन्सी निर्धारित करने के संबंध में।

मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक जी–16/1/ 2000/सी/4/ दिनांक 13 दिसम्बर 2000 द्वारा जनभागीदारी नियम जारी किये गये है। इन नियमों के अंतर्गत गैर सरकारी पंजीकृत संस्थाओं/समिति/ट्रस्ट के पक्ष जनभागीदारी के रूप में प्राप्त राशि को जनभागीदारी का अंश मान्य किया जाकर निम्नानुसार कार्य की स्वीकृति के प्रस्ताव प्राप्त होने पर स्वीकृति की जायें।

2. संस्था द्वारा स्वयं कार्य निष्पादन कराने का विकल्प रखने की स्थिति में इन संस्थाओं के द्वारा नियमानुसार योजनान्तर्गत कार्य कराये जाने की स्वीकृति दी जावे। बशर्त इन संस्थाओं का कम से कम 3 वर्ष का पंजीयन/अनुभव हों।

3. जनभागीदारी योजनान्तर्गत निर्मित सम्पदा पर राज्य शासन का पूर्णतः अधिपत्य होगा।

सही:–
(डी0पी0अहिरवार)
उप सचिव
मध्य प्रदेश शासन
योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग

प्र0क्रमांक एफ–2–13/2000/23/यो–2
भोपाल दिनांक 02.06.2008

प्रतिलिपि :–

1. माननीय मंत्री जी योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग भोपाल।
2. माननीय उपाध्यक्ष राज्य योजना आयोग मध्यप्रदेश।
3. सदस्य सचिव, राज्य योजना आयोग मध्यप्रदेश।
4. प्रमुख सचिव/सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग मंत्रालय भोपाल।
5. अवर सचिव मध्यप्रदेश शासन, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग मंत्रालय भोपाल।
6. अपर सचिव/सलाहकार राज्य योजना आयोग मध्यप्रदेश भोपाल।
7. समस्त संभागीय आयुक्त संचालक/जिलायोजना अधिकारी, संभागीय/जिला योजना एवं सांख्यिकी कार्यालय मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेसित।

सही:–
(डी0पी0अहिरवार)
उप सचिव
मध्य प्रदेश शासन
योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग

मध्य प्रदेश शासन
योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग
मंत्रालय

क्रमांक– 1164 / 326 / 2010 / 23 / यो.आ.सां. भोपाल, दिनांक 12 / 5 / 2010

प्रति,

समस्त कलेक्टर्स
मध्यप्रदेश

विषय :- जनभागीदारी योजना में स्वैच्छिक संगठनों को भी अनुमत कार्यो के लिये स्वीकृति दी जायेगी यदि वे जन भागीदारी निर्धारित शर्तो को पूर्ण करते है।

–0–

उपरोक्त विषय के संबंध में मान. मुख्यमंत्री जी की घोषणा क. 262 दिनांक 12.10.09 के कियान्वयन के संबंध में म.प्र. जनभागीदारी नियम 2000 के प्रावधान अंतर्गत विभागीय परिपत्र क. एफ 2–13–2000 / 23 / योजना–2 दिनांक 02.06.08 (सुलभ संदर्भ हेतु छायाप्रति संलग्न) की ओर ध्यान आकर्षित कर निर्देशित किया जाता है कि स्वैच्छिक संगठनों को जनभागीदारी योजनांतर्गत अनुमत कार्यो के लिये स्वीकृति दी जाये। यदि वे जनभागीदारी योजना की निर्धारित शर्तो को पूर्ण करते है।

(एल.एच.वाइने)
अवर सचिव
मध्य प्रदेश शासन
योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग
मंत्रालय

पृ.क्रमांक– 1165 / 326 / 2010 / 23 / यो.आ.सां. भोपाल, दिनांक 12 / 5 / 2010

प्रतिलिपिः–

1. सचिव, मान. मुख्यमंत्री कार्यालय, भोपाल।
2. मान. मंत्रीजी योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग भोपाल।
3. आयुक्त, आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय भोपाल।
4. अपर सचिव, राज्य योजना आयोग, भोपाल।
5. कार्यपालक निदेशक जन अभियान परिषद, भोपाल।
6. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक / जिला योजना अधिकारी, जिला योजना एवं सांख्यिकी कार्यालय, म.प्र.।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

अवर सचिव
मध्य प्रदेश शासन
योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग
मंत्रालय

C:\ASHA 10\letter 10-05-2010-123.doc

मध्य प्रदेश शासन
योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग
मंत्रालय बल्लभ भवन

क्रमांक एफ–2 13/2000/23/यो.–2

भोपाल दिनांक 02.06.2008

प्रति,

समस्त कलेक्टर्स
मध्यप्रदेश

विषय :– **जनभागीदारी योजनान्तर्गत गैर सरकारी पंजीकृत संस्थाओं/समिति/ट्रस्ट आदि के द्वारा एकत्रित राशि को जनभागीदारी का अंश मान्य किये जाने एवं क्रियान्वयन एजेन्सी निर्धारित करने के संबंध में।**

मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक जी–16/1/2000/सी/4/ दिनांक 13 दिसम्बर 2000 द्वारा जनभागीदारी नियम जारी किये गये है। इन नियमों के अंतर्गत गैर सरकारी पंजीकृत संस्थाओं/समिति/ट्रस्ट के पक्ष जनभागीदारी के रूप में प्राप्त राशि को जनभागीदारी का अंश मान्य किया जाकर निम्नानुसार कार्य की स्वीकृति के प्रस्ताव प्राप्त होने पर स्वीकृति की जायें।

2. संस्था द्वारा स्वयं कार्य निष्पादन कराने का विकल्प रखने की स्थिति में इन संस्थाओं के द्वारा नियमानुसार योजनान्तर्गत कार्य कराये जाने की स्वीकृति दी जावे। बशर्त इन संस्थाओं का कम से कम 3 वर्ष का पंजीयन/अनुभव हों।

3. जनभागीदारी योजनान्तर्गत निर्मित सम्पदा पर राज्य शासन का पूर्णतः अधिपत्य होगा।

सही:–
(डी0पी0अहिरवार)
उप सचिव
मध्य प्रदेश शासन
योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग

प्र0क्रमांक एफ–2–13/2000/23/यो–2
भोपाल दिनांक 02.06.2008

प्रतिलिपि :–

1. माननीय मंत्री जी योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग भोपाल।
2. माननीय उपाध्यक्ष राज्य योजना आयोग मध्यप्रदेश।
3. सदस्य सचिव, राज्य योजना आयोग मध्यप्रदेश।
4. प्रमुख सचिव/सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग मंत्रालय भोपाल।
5. अवर सचिव मध्यप्रदेश शासन, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग मंत्रालय भोपाल।
6. अपर सचिव/सलाहकार राज्य योजना आयोग मध्यप्रदेश भोपाल।
7. समस्त संभागीय आयुक्त संचालक/जिलायोजना अधिकारी, संभागीय/जिला योजना एवं सांख्यिकी कार्यालय मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेसित।

सही:–
(डी0पी0अहिरवार)
उप सचिव
मध्य प्रदेश शासन
योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग

मध्य प्रदेश शासन
योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग
मंत्रालय

क्रमांक – /2008/यो.आ.एवं.सां./ज.भा.यो. भोपाल, दिनांक – / /2008

प्रति,

कलेक्टर
जिला–इन्दौर
मध्यप्रदेश

विषय :– जन भागीदारी योजना के अन्तर्गत लिये जाने वाले कार्य की वित्तीय सीमा के संबंध में ।

संदर्भ :– आपका पत्र क्र. 3033/स.यो.सां.का./2008/इन्दौर, दिनांक 6.10.2008

विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के संबंध में अवगत कराया जाता है कि वर्तमान निर्देशों के अन्तर्गत जन भागीदारी योजना में मात्र रू. 25.00 लाख तक की लागत के कार्य ही लिये जा सकते है ।

सूचनार्थ प्रेषित

(डी. पी. अहिरवार)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग

पृ. क्रमांक 1834/2008/यो.आ.एवं सां./ज.भा.यो. भोपाल, दिनांक 12/11/2008

प्रतिलिपि :–

1. समस्त कलेक्टर (इन्दौर छोड़कर) मध्यप्रदेश को सूचनार्थ ।
2. समस्त संयुक्त संचालक, संभागीय योजना एवं सांख्यिकी कार्यालय, म.प्र. को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
3. समस्त जिला योजना अधिकारी जिला ...... को सूचनार्थ ।

(डी. पी. अहिरवार)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग

मध्य प्रदेश शासन
योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग
मंत्रालय

क्रमांक – / 2008 / यो.आ.एवं.सां. / ज.भा.यो. भोपाल, दिनांक / / 2008

प्रति,

कलेक्टर
जिला–इन्दौर
मध्यप्रदेश

विषय :– जन भागीदारी योजना के अन्तर्गत लिये जाने वाले कार्य की वित्तीय सीमा के संबंध में ।

संदर्भ :– आपका पत्र क्र. 3033 / स.यो.सां.का. / 2008 / इन्दौर, दिनांक 6.10.2008

विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के संबंध में अवगत कराया जाता है कि वर्तमान नियमों के अन्तर्गत जन भागीदारी योजना में मात्र रू. 25.00 लाख तक की लागत के कार्य ही लिये जा सकते है ।

संभागीय योजना एवं सांख्यिकी कार्यालय (म.प्र.)

(डी. पी. अहिरवार)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग

पृ.क्र. – / 2008 / क.यो.एवं.सां. / ज.भा.यो. भोपाल, दिनांक 12/11/2008

प्रतिलिपि :–

1. समस्त कलेक्टर (इन्दौर छोड़कर) मध्यप्रदेश को सूचनार्थ ।
2. समस्त संयुक्त संचालक, संभागीय योजना एवं सांख्यिकी कार्यालय म.प्र. को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
3. समस्त जिला योजना अधिकारी जिला .... को सूचनार्थ ।

(डी. पी. अहिरवार)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग

CADS-P-letter-1-30-10-2008.doc

38

आयुक्त, आर्थिक एवं सांख्यिकी, मध्यप्रदेश
भू-तल, विन्ध्याचल भवन, भोपाल
पिन – 462004

क्रमांक 3551 /2010/आसासं/पीपीपी/ भोपाल, दिनांक 11/6/2010

प्रति,

जिला योजना अधिकारी,
जिला योजना एवं सांख्यिकी कार्यालय
जिला ....
मध्य प्रदेश .

विषयः जनभागीदारी योजना की मासिक प्रगति प्रतिवेदन भेजने बाबत ।

विषयान्तर्गत आयुक्त, आर्थिक एवं सांख्यिकी मध्य प्रदेश द्वारा जनभागीदारी योजना की मासिक प्रगति की समीक्षा करने पर पाया गया कि अधिकांश जिलो से निर्धारित समय में वांछित प्रपत्र में मासिक प्रगति प्रतिवेदन नही भेजे जा रहे हैं । इस पर उन्होंने अप्रसन्नता व्यक्त की है । आपके जिले को माह मार्च 2010 मासिक पत्रक अभी तक अप्राप्त है ।

अतः कृपया निर्धारित प्रपत्र (24 कॉलम) में माह मार्च 2010 का मासिक प्रगति प्रतिवेदन प्राथमिकता के आधार पर तत्काल एवं इसके पश्चात प्रतिमाह की तारिख प्रपत्र अनिवार्यतः मुख्यालय भेजना सुनिश्चित करें ।

जिला योजना एवं सांख्यिकी कार्यालय
आवक क्र. 931
दिनांक 22/6

(जे.पी. परिहार)
संयुक्त संचालक
आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय
मध्य प्रदेश

पृ. क्र 3552 /2010 /आसासं/पीपीपी भोपाल, दिनांक 11 / 6/ 2010

प्रतिलिपि :-

1. कलेक्टर, जिला .... (24) मध्य प्रदेश ।
2. संयुक्त संचालक, जन भागीदारी योजना एवं सांख्यिकी कार्यालय संभाग ग्वालियर .... (म. प्र.) की ओर सूचनार्थ ।

(जे.पी. परिहार)
संयुक्त संचालक
आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय
मध्य प्रदेश

21/06/10

C:\Users\Acer\Documents\archana 18-5-2010.doc

आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय,
मध्य प्रदेश.

:: आदेश ::

भोपाल, दिनांक 8/06/2010

क्रमांक 241/2010/आसांसं/एस.टी. :: संचालनालय के आदेश क्रमांक 139 दिनांक 05.05.10 में आंशिक संशोधन करते हुये डॉ. एस. महाले, संयुक्त संचालक (कार्यक्रम कार्यान्वयन संभाग के अन्तर्गत) को अपने वर्तमान कार्यो के साथ–साथ जनभागीदारी योजना का अतिरिक्त कार्य आवंटित किया जाता है ।

श्री जे. पी. परिहार, संयुक्त संचालक, उक्त आवंटित जनभागीदारी योजना के कार्य से मुक्त रहेंगे ।

(डॉ. एस. पी. शर्मा)
आयुक्त
आर्थिक एवं सांख्यिकी
मध्यप्रदेश

पृ. क्रमांक 242/2010/आसांसं/एस.टी. भोपाल, दिनांक 8/06/2010

प्रतिलिपि :–

1. डॉ. एस. महाले/श्री जे. पी. परिहार, संयुक्त संचालक, आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय म.प्र. की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ अग्रेषित।
2. समस्त संयुक्त संचालक, आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय, म.प्र. भोपाल।
3. समस्त संयुक्त संचालक, संभागीय योजना एवं सांख्यिकी कार्यालय, म.प्र. ।
4. समस्त जिला योजना अधिकारी, जिला योजना एवं सांख्यिकी कार्यालय, म.प्र. ।
5. समस्त उप संचालक/सहायक संचालक, आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय, म.प्र. भोपाल।
6. लेखाधिकारी/सहायक संचालक (प्रशा.)/आयुक्त के वरिष्ठ निज सहायक/समस्त अधीक्षक/उप संचालक (प्रशा.) के सहा.ग्रेड–3/गोपनीय शाखा/सेवापुस्तिका शाखा, आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय, म.प्र., भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।
7. एक प्रति व्यक्तिगत नस्ती हेतु ।

(बी. आर. वरवड़े)
उप संचालक (प्रशा.)
आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय
मध्यप्रदेश

(40)

राज्य योजना आयोग
मध्यप्रदेश

क्रमांक 19 /2010/रा.यो.आ./जन.भागी., भोपाल, दिनांक 05.04.2010

प्रति,

समस्त कलेक्टर्स
मध्यप्रदेश

विषय :- जनभागीदारी योजना का आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय में हस्तानांतरण ।

-----x-----

1732
26-4-2010

उपरोक्त विषय में राज्य शासन द्वारा लिये गये निर्णय अनुसार दिनांक 01.04.2010 से जनभागीदारी योजना आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय, मध्यप्रदेश को हस्तान्तरित कर दी गई है। अब जनभागीदारी योजना संबंधी कार्य दिनांक 01.04.2010 से आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय में संपादित किया जायेगा। इस संबंध में योजना से संबंधित समस्त नस्तियों/अभिलेखों/दस्तावेजों का हस्तांतरण भी कर दिया गया है।

अनुरोध है कि जनभागीदारी योजना से संबंधित पत्राचार आयुक्त, आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय, विंध्याचल भवन, भोपाल, मध्यप्रदेश से ही करने का कष्ट करें।

BL Sharma
(डॉ.बी.एल.शर्मा)
अपर सचिव
राज्य योजना आयोग, म.प्र.

पृ.क्रमांक /2010/रा.यो.आ./जन.भागी., भोपाल, दिनांक 05.04.2010

प्रतिलिपि :-

1. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग।
2. कमिश्नर, भोपाल/सागर/जबलपुर/उज्जैन/रीवा/ग्वालियर/इंदौर/शहडोल एवं नर्मदापुरम को सूचनार्थ।
3. आयुक्त, आर्थिक एवं सांख्यिकी, म.प्र., भोपाल।
4. उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग।
5. समस्त संयुक्त संचालक, संभागीय योजना एवं सांख्यिकी कार्यालय एवं जिला योजना अधिकारी, जिला योजना एवं सांख्यिकी कार्यालय, मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
6. निज सचिव, प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग की ओर सूचनार्थ।
7. निज सचिव, माननीय मंत्री, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी, मध्यप्रदेश।
8. अवर सचिव, राज्य योजना आयोग की ओर सूचनार्थ।

(डॉ.बी.एल.शर्मा)
अपर सचिव
राज्य योजना आयोग, म.प्र.

संभागीय योजना एवं सांख्यिकी कार्यालय ग्वालियर (म.प्र.) 780 28/5

(41)

राज्य योजना आयोग,
मध्यप्रदेश
सी–विंग, प्रथम तल,विन्ध्याचल भवन,भोपाल

क्रमांक 1910 / रायोआ / जन.भा. / 2010 भोपाल, दिनांक 19 / 3 / 2010

प्रति,

समस्त कलेक्टर,
मध्यप्रदेश ।

विषयः– जनभागीदारी योजना के अंतर्गत आवंटित राशि का व्यय एवं अतिरिक्त राशि की मांग।

––

जनभागीदारी योजना के अंतर्गत सभी जिलों को राज्य योजना आयोग द्वारा समय–समय पर राशि आवंटित की गयी है । यह राशि चालू वित्तीय वर्ष के विभिन्न कार्यों पर व्यय की जानी थी । आपके जिले से प्राप्त जानकारी के परीक्षण के आधार पर यह प्रतीत होता है कि कुछ जिलों में आवंटित की गयी राशि का आहरण नहीं किया गया है और न ही उक्त राशि अभी तक समर्पित की गयी है । जैसा कि आप जानते हैं कि यह योजना एक बहुउपयोगी योजना है और इसके अंतर्गत कई गॉवों में ऐसे कार्य लेना संभव होता है जो शासन की किसी योजना में नहीं लिये जा सकते । बशर्तें कि ऐसे कार्यों की कुल लागत का निर्धारित अंश सामान्य जनता द्वारा उपलब्ध कराया जाये । अतः आपसे यह अपेक्षा की जाती है कि आप आवंटित राशि के पूर्ण उपयोग की कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे और 31 मार्च, 2010 के पूर्व उपलब्ध आवंटन का पूर्ण उपयोग करेंगे । जैसा कि आप जानते हैं कि आज 'परख कार्यक्रम' के दौरान मान.मुख्यमंत्री जी द्वारा कुछ योजनाओं में कम व्यय होने के कारण अप्रसन्नता व्यक्त की गयी है और यह निर्देश भी दिये गये हैं कि 31 मार्च के पूर्व सम्पूर्ण राशि का उपयोग सुनिश्चित किया जाये । अतः आपसे अनुरोध है कि आप इस आवंटित राशि का विभिन्न लोकोपयोगी कार्यों के लिए स्वीकृत किया जाना सुनिश्चित करें और स्वीकृत कार्यों को दिसम्बर, 2010 अंत तक पूर्ण कराना सुनिश्चित करें ।

कुछ जिलों से आवंटित राशि के समर्पण एवं कुछ अतिरिक्त राशि उपलब्ध होने के कारण इस योजना में अभी भी रू. 5–7 करोड़ की राशि

1258
23/3/10

451
25/3/10

Fax- 0755 2551225

आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय, मध्यप्रदेश
भू–तल, विन्ध्याचल भवन, भोपाल
पिन – 462004

(A2)

क्रमांक 3089/2009/आसांसं/आ.वि–ज.भा, भोपाल, दिनांक 25/5/2010

प्रति,

समस्त संयुक्त संचालक/
जिला योजना अधिकारी,
संभागीय/जिला योजना एवं सांख्यिकी कार्यालय,म.प्र.

विषय– जनभागीदारी योजना का कियान्वयन ।

दिनांक 1.4.2010 से जनभागीदारी योजना का कियान्वयन आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय,म.प्र. द्वारा किया जा रहा है । माह अप्रेल,2010 की प्रगति की समीक्षा करने पर पाया गया कि अधिकांश जिलो में इस योजना के तहत कोई राशि व्यय नही की गई है । आपको विदित ही है कि वर्ष 2010–11 में मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग द्वारा सभी योजनाओं का त्रैमासिक बजट जारी किया गया है, एवं त्रैमास हेतु आवंटित राशि उसी त्रैमास में उपयोग करना आवश्यक किया गया है अन्यथा आवंटित राशि समर्पित/लेप्स हो जावेगी। आपके जिले को जनभागीदारी योजना के तहत प्रथम त्रैमास का आवंटन माह अप्रेल,2010 में ही किया जा चुका है ।

अतः अनुरोध है कि जनभागीदारी योजना के तहत आपके जिले को आवंटित राशि का पूर्ण उपयोग इसी त्रेमास में अर्थात दिनांकः 30 जून,2010 तक करना सुनिश्चित करें । साथ ही जनभागीदारी योजना की प्रगति का मासिक प्रतिवेदन प्रत्येक माह की पांच तारीख तक भिजवाने का कष्ट करें ।

(जे.पी. परिहार)
संयुक्त संचालक
आर्थिक एवं सांख्यिकी,म.प्र.

21/06/10